न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4, कानपुर देहात।

पीठासीन अधिकारी– श्री अजय कुमार सिंह–II, **(उच्चतर न्यायिक सेवा)**–UP01536

UPRN010025302024

सत्र वाद संख्या–777/2024

सरकार बनाम नवीन

मुकदमा अपराध संख्याः–233/2023

धाराः–498A, 304B भा०दं०सं०।

वैकल्पिक धाराः–302 भा०द०सं०।

धाराः–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम।

थानाः–साढ़, जनपद कानपुर नगर।

वादी	उत्तर प्रदेश राज्य ।
प्रतिनिधित्व	श्री के०के० सिंह, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)
अभियुक्तगण	1– नवीन कुमार पुत्र रामचन्द्र प्रजापति, निवासी ग्राम रायपाटी, थाना साढ़, जनपद कानपुर नगर।
प्रतिनिधित्व	श्री विश्वनाथ कटियार, एडवोकेट
प्रथम सूचना अंकित किये जाने की तिथि	08–10–2023
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	21–01–2025
निर्णय की तिथि	27–05–2026

एवं

UPRN010020002024

<u>सत्र वाद संख्या–651/2024</u>

सरकार बनाम रामचन्द्र प्रजापति आदि

मुकदमा अपराध संख्याः–233/2023

धाराः–498A, 304B भा०दं०सं०।

वैकल्पिक धाराः–302 भा०द०सं०।

धाराः–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम।

थानाः–साढ़, जनपद कानपुर नगर।

वादी	उत्तर प्रदेश राज्य ।
प्रतिनिधित्व	श्री के०के० सिंह, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)
अभियुक्तगण	1– रामचन्द्र प्रजापति पुत्र छेदालाल, 2– श्रीमती माया देवी पत्नी रामचन्द्र प्रजापति, निवासीगण ग्राम रायपाटी, थाना साढ़, जनपद कानपुर नगर।
प्रतिनिधित्व	श्री विश्वनाथ कटियार, एडवोकेट
प्रथम सूचना अंकित किये जाने की तिथि	08–10–2023
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	06–06–2024
निर्णय की तिथि	27.05.2026

<u>निर्णय</u>

1– **सेशन केस संख्या–651/2024** के अभियुक्तगण रामचन्द्र प्रजापति एवं श्रीमती माया देवी को मुकदमा अपराध संख्या– 233/2023 अर्न्तगत धारा 498A, 304B भा०दं०सं० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना साढ़, जनपद कानपुर नगर में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात द्वारा अपने आदेश दिनांकित 27–02–2024 के द्वारा विचारण हेतु, माननीय सत्र न्यायाधीश, कानपुर देहात के समक्ष सत्र उपार्पित होने के पश्चात माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार अन्तरण होकर, यह पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त हुयी।

2– **सेशन केस संख्या–777/2024** के अभियुक्त नवीन कुमार को मुकदमा अपराध संख्या–233/2023 अर्न्तगत धारा 498A, 304B भा०दं०सं० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना साढ़, जनपद कानपुर नगर में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात द्वारा अपने आदेश दिनांकित 29–03–2024 के द्वारा विचारण हेतु, माननीय सत्र न्यायाधीश, कानपुर देहात के समक्ष सत्र उपार्पित होने के पश्चात माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार अन्तरण होकर, यह पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त हुयी।

3– अभियोजन कथानक के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी मुकदमा श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र स्व० सुक्खू, निवासी ग्राम हरियापुर, पो० बनरसी, थाना ललौली, जनपद फतेहपुर द्वारा दिनांक 08–10–2023 को संबंधित थाना साढ़, जिला कानपुर नगर में तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 इस आशय की दर्ज करायी गयी कि उसने अपनी पुत्री गुड़िया देवी की शादी दिनांक 27 जून, सन्–2020 को हिन्दू रीति रिवाज एवं तय दहेज जिसमे 5 लाख नगद व 1 लाख की चैन व अंगूठी (सोने की) व 1.50 लाख का अन्य सामान के साथ नवीन पुत्र रामचन्द्र प्रजापति, निवासी ग्राम रायपटी मजरे नरायनपुर, थाना साढ़, जनपद कानपुर नगर के साथ हुई थी। परन्तु शादी के बाद से ससुराल के सभी लोगों द्वारा उसकी पुत्री को प्रताड़ित करने लगे और अतिरिक्त दहेज में 2 लाख रूपये व एक अपाचे मोटर साइकिल की मांग कर रहे थे। दहेज न देने के कारण आये दिन नवीन पुत्र रामचन्द्र (दामाद), प्रवीण पुत्र रामचन्द्र (देवर), रामचन्द्र पुत्र स्व० छेदालाल (ससुर), माया देवी पत्नी रामचन्द्र (सास), नेहा देवी, लक्ष्मी देवी व राधा देवी पुत्री रामचन्द्र (ननद) व दामाद का बहनोई रमाकान्त, निवासी मिस्सी कोतवाली बिन्दकी, फतेहपुर उसकी पुत्री के साथ आये दिन मारपीट करते थे। परन्तु कई बार सामाजिक सुलह समझौता होने के बाद भी यह लोग मेरी पुत्री के साथ मारपीट करते रहे। अतिरिक्त दहेज न देने के कारण उसकी पुत्री की हत्या कर दी

है। लाश मौके पर पड़ी है। अतः वादी मुकदमा द्वारा उसकी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी।

4– वादी मुकदमा की लिखित तहरीर प्रदर्श पी–1 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2 अभियुक्तगण नवीन (दामाद), प्रवीण (देवर), रामचन्द्र (ससुर), माया देवी (सास), नेहा देवी (ननद), लक्ष्मी देवी (ननद), राधा देवी (ननद) व रमाकान्त (दामाद का बहनोई) के विरूद्ध मुकदमा मुकदमा अपराध संख्या–233/2023 अन्तर्गत धारा 498A, 304B भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम संबंधित थाने में पंजीकृत किया गया।

5– <u>**सेशन केस संख्या–651/2024**</u> के मामले में विवेचक द्वारा तमामी विवेचना बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल, बयान गवाह पंचान, बयान डाक्टर व मजिस्ट्रेट, अवलोकन पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि संकलित किये गये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण रामचन्द्र प्रजापति एवं माया देवी के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रदर्श क–13 अन्तर्गत धारा 498A, 304B भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण नवीन, प्रवीण, नेहा देवी, लक्ष्मी देवी, राधा देवी व रमाकान्त के विरूद्ध आशिंक विवेचना प्रचलित है।

6– <u>**सेशन केस संख्या–777/2024**</u> के मामले में अभियुक्तगण नवीन, प्रवीण, नेहा देवी, लक्ष्मी देवी, राधा देवी व रमाकान्त के विरूद्ध आशिंक विवेचना प्रचलित रहने के क्रम में, विवेचनाधिकारी द्वारा वादी मुकदमा व अन्य गवाहान के बयान अंकित किया गया। वादी मुकदमा की निशांदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार गया। अभियुक्तगण का बयान अंकित किया गया। नामित अभियुक्तगण लक्ष्मी देवी (ननद), प्रवीण कुमार (देवर), राधा देवी (ननद), श्रीमती नेहा देवी (ननद) व रमाकान्त (नन्दोई) की घटना में संलिप्तता नहीं पाये जाने पर नामजदगी गलत पायी गयी। विवेचनाधिकारी द्वारा संकलित किये गये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त नवीन कुमार के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 498A, 304B भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध में आरोप पत्र प्रदर्श क–14 प्रेषित किया गया, जिस पर संबंधित न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

7– <u>**सेशन केस संख्या–777/2024**</u> के अभियुक्त नवीन कुमार (पति) न्यायालय उपस्थित आये। इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त नवीन कुमार के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 498A, 304B भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 दहेज

प्रतिषेध अधिनियम एवं वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपित आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की माँग की।

8– **सेशन केस संख्या–651/2024** के अभियुक्तगण रामचन्द्र प्रजापति एवं माया देवी न्यायालय उपस्थित आये। न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कानपुर देहात के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण रामचन्द्र प्रजापति एवं माया देवी के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 498A, 304B भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपित आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की माँग की।

9– **सेशन केस संख्या–651/2024,** सरकार बनाम रामचन्द्र प्रजापति आदि, मुकदमा अपराध संख्या–233/2023 अन्तर्गत धारा 498A, 304B भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना साढ़, जिला कानपुर नगर एवं **सेशन केस संख्या–651/2024**, सरकार बनाम नवीन कुमार, मुकदमा अपराध संख्या–233/2023 अन्तर्गत धारा 498A, 304B भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनि–यम, थाना साढ़, जिला कानपुर नगर एक ही अपराध संख्या से संबंधित होने के कारण न्या–यालय द्वारा दिनांक 05–05–2026 को दोनों पत्रावलियों को समेकित करते हुए, **सेशन केस संख्या–777/2024,** सरकार बनाम नवीन कुमार, मुकदमा अपराध संख्या–233/2023 अन्तर्गत धारा 498A, 304B भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना साढ़, जिला कानपुर नगर को लीडिंग केस बनाया गया।

10– अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोपों को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को प्रस्तुत एवं परीक्षित कराया गया है–

क्रम संख्या	नाम साक्षी	साक्ष्य का प्रकार
PW1	श्री धर्मेन्द्र	वादी मुकदमा/सूचनाकर्ता
PW2	हेड मोहर्रिर	एफ०आई०आर० लेखक
PW3	श्री विनोद कुमार	तथ्य के साक्षी
PW4	श्रीमती शान्ती देवी	तथ्य के साक्षी
PW5	उपनिरीक्षक भूपेन्द्र कुमार	पंचायतनामाकर्ता
PW6	डा० आर०एस० यादव	चिकित्साधिकारी

PW7	श्री दिनेश कुमार शुक्ला	प्रथम विवेचक
PW8	श्री रंजीत कुमार	द्वितीय विवेचक

11– अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रलेखीय साक्ष्य को प्रस्तुत कराया गया है–

क्र०सं०	**प्रदर्श संख्या**	**प्रकार**	**साबित करने वाला साक्षी**
1	प्रदर्श पी–1	तहरीर रिपोर्ट	पी०डब्लू०–1 वादी श्री धर्मेन्द्र
2	प्रदर्श क–2	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी०डब्लू०–2 हे०मो० रामनरेश चौधरी
3	प्रदर्श क–3	कायमी नकल जी०डी०–37	पी०डब्लू०–2 हे०मो० रामनरेश चौधरी
4	प्रदर्श क–4	मूल जी०डी०	पी०डब्लू०–2 हे०मो० रामनरेश चौधरी
5	प्रदर्श क–5	पंचायतनामा	पी०डब्लू०–5 उ०नि० भूपेन्द्र कुमार
6	प्रदर्श क–6	नायब तहसीलदार द्वारा चिकित्साधिकारी को प्रेषित पत्र	पी०डब्लू०–5 उ०नि० भूपेन्द्र कुमार
7	प्रदर्श क–7	चिट्ठी सी०एम०ओ०	पी०डब्लू०–5 उ०नि० भूपेन्द्र कुमार
8	प्रदर्श क–8	नमूना सील	पी०डब्लू०–5 उ०नि० भूपेन्द्र कुमार
9	प्रदर्श क–9	फोटो लाश	पी०डब्लू०–5 उ०नि० भूपेन्द्र कुमार
10	प्रदर्श क–10	चालान शव	पी०डब्लू०–5 उ०नि० भूपेन्द्र कुमार
11	प्रदर्श क–11	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	पी०डब्लू०–6 डा० आर०एस० यादव
12	प्रदर्श क–12	नक्शा नजरी	पी०डब्लू०–7 श्री दिनेश कुमार शुक्ला
13	प्रदर्श क–13	आरोप&पत्र (अभि० रामचन्द्र प्रजापति व माया देवी)	पी०डब्लू०–8 श्री रंजीत कुमार
14	प्रदर्श क–14	आरोप–पत्र (अभि० नवीन कुमार)	पी०डब्लू०–8 श्री रंजीत कुमार

12– इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से अन्य किसी साक्षीगण को साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियोजन की याचना पर अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है।

13— अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी साक्ष्य सुनिश्चित करने के उपरान्त पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० नियत की गयी। अभियुक्तगण का बयान पृथक—पृथक अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण की ओर से कथन किया गया कि अभियुक्तगण ने अपने कथन में मुकदमे एवं अभियोजन साक्ष्य को मिथ्या व गलत बताया है, मुकदमा गलत पंजीकृत होना कहा, गवाहों द्वारा गलत साक्ष्य देना कहा, पंचायतनामा व उससे संबंधित प्रपत्रों एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी बात के संबंध में जानकारी नहीं होना बताया है, विवेचकों द्वारा की गयी विवेचना को निष्पक्ष होना नहीं बताया, बल्कि झूठे तथ्यों के आधार पर आरोप—पत्र प्रस्तुत करना कहा है, मुकदमा झूठा चलना कहा।

14— अभियुक्तगण् की ओर से अपने बचाव में कोई भी मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15— मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्षियों व दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया।

<u>अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगणों का बयान</u>

16— अभियोजन की तरफ से परिसाक्षित साक्षी पी०डब्लू०—1 श्री धर्मेन्द्र ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य—परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मेरी पुत्री का नाम गुड़िया देवी था। मैंने अपनी पुत्री का विवाह नवीन के साथ दिनांक 27—06—2020 को हिन्दू रीति रिवाज एवं तय दहेज पांच लाख रूपये नगद, एक लाख की चैन व अंगूठी सोने की और 1.50 लाख रूपये का अन्य सामान के साथ नवीन पुत्र रामचन्द्र प्रजापति, निवासी राय पाठी मजरा नरायनपुर, थाना साढ़, जनपद कानपुर नगर के साथ की थी। मेरी बेटी हंसी खुशी से विदा हुयी थी। उसके बाद हम लोग पन्द्रह दिन बाद चौथी चलाने गये थे। वहां से मैं हंसी खुशी से अपनी बेटी को विदा कराकर लाया था। छः माह बाद गौना किया था। गौना के समय मेरी बेटी को लेने के लिए रामचन्द्र ससुर, नवीन दामाद, रामाकान्त दामाद का बहनोई, नेहा ननद, लक्ष्मी ननद, प्रवीण कुमार देवर आदि आये थे। उसके बाद हमने बेटी को हंसी खुशी से विदा कर दिया था। गौने के एक माह बाद बेटी ने अपने फोन से बताया था कि दो लाख रूपये व एक मोटर साईकिल की मांग कर रहे हैं व मुझे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित कर रहे हैं। दहेज न देने के कारण आये दिन नवीन, प्रवीण, रामचन्द्र, माया देवी, लक्ष्मी देवी, नेहा देवी, राधा देवी व रमाकान्त आये दिन मानसिक प्रताड़ित करते व मारपीट करते थे। इसके बाद मैं तीन बार समझौता कराने के लिए गया था। मेरी बेटी कह रही थी कि पापा एक लाख

रूपये दे दो तो मुझे अच्छे से रखेंगे। जब मैं पहली बार गया था तो एक लाख रूपये दे आया था। उसके बाद एक माह शान्त रहे। पुनः मेरी पुत्री के साथ घटना की पुनरावृत्ति करते रहे। लेकिन कई सामाजिक सुलह समझौता होने के बाद भी मेरी पुत्री के साथ मार–पीट करते रहे। पी०डब्लू०–1 धर्मेन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी अभिकथन किया कि अतिरिक्त दहेज न देने के कारण मेरी पुत्री की हत्या कर दी। हत्या की सूचना मेरी पुत्री के ससुर रामचन्द्र ने 4:00 बजे सुबह दी थी। हम गाड़ी बुक करके गांव परिवार व भतीजों के साथ अपनी पुत्री के यहां लगभग एक घण्टे में पहुंच गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो मौके पर मेरी पुत्री के परिवारीजन फरार हो गये थे और मेरी पुत्री की लाश फांसी के फन्दे पर दरवाजे के कुंडे पर लटकी हुयी थी। जब मैं पहुंचा था तो पुलिस वहां मौजूद थी। मेरे सामने ही मेरी पुत्री की लाश को उतारा था व मेरे सामने ही पंचायतनामा की कार्यवाही हुयी थी। पंचायतनामा की कार्यवाही में हम लोगों को पंच बनाया गया था व राय पंचान पढ़कर सुनाया गया था, जिसमें मेरे द्वारा कथन किया गया था कि मेरी पुत्री की मृत्यु करने के बाद ससुरालीजनों ने फांसी का फन्दा बनाकर लटकाने से हुयी है। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए मृतका का पोस्टमार्टम करा लिया जाये। गवाह ने पंचायतनामा पर बने हस्ताक्षर को देखकर कहा कि यह मेरे हस्ताक्षर हैं जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिसको मैंने राय पंचान के समय बनाया था। जिसके बाद मेरी पुत्री के शव को कानपुर नगर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया था। मैं भी साथ में गया था। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद मेरी पुत्री का शव मुझे सुपुर्द कर दिया गया था, क्योंकि कोई भी ससुरालीजन वहां पर उपस्थित नहीं थे। मेरे द्वारा ही कानपुर नगर मे गंगा जी के किनारे एक घाट में दाह संस्कार किया गया था। घाट का नाम मुझे याद नहीं। मेरे पक्ष के सभी लोग घाट पर अंतिम दर्शन के लिए आ गये थे। तहरीरी प्रार्थना पत्र जो संलग्न पत्रावली है को देखकर वादी ने बताया कि मेरे बोलने पर भतीजे विनोद कुमार ने लिखी थी। उस पर मैंने हस्ताक्षर बनाये थे। हस्ताक्षर को देखकर वादी ने कहा कि यह वही तहरीरी प्रार्थना पत्र है जो मैंने थाने में दिया था और मैंने अपने हस्ताक्षर बनाये थे। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श पी–1 डाला गया।

इस साक्षी पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा धर्मेन्द्र ने अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मुझे यह पता है कि दहेज लेना और देना दोनो जुर्म होता है। इसीलिए मैंने अपनी पुत्री गुडिया देवी की शादी बिना दाम दहेज के किया था। मेरी पुत्री अपनी ससुराल में खुशहाल थी, उसने कभी भी मुझसे ससुराली दिनों की शिकायत नही की थी। मेरी पुत्री गुडिया देवी के एक पुत्र है, जिसका नाम अंश है जो अपने पैतृक पुत्री के सास–ससुर के पास रह रहा है। यह

बात सही है कि मुझसे नवीन कुमार दामाद, रामचन्द्र, मायादेवी, लक्ष्मी देवी, नेहा देवी, राधा देवी व रामाकान्त ने कभी भी अतिरिक्त दहेज की माँग नहीं की और न ही इन्होंने गुडिया देवी को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित किया। यह बात सही कि मैंने इस दुर्घटना की (गुड़िया द्वारा फाँसी लगा लेने कि) रिपोर्ट लोगों के कहने व आवेश में आकर करा दी थी। मेरी बेटी गुड़िया जिद्दी स्वाभाव की थी और घटना वाले दिन दिनांक 08-10-2023 को मायके जाने को जिद्द कर रही थी। दामाद नवीन द्वारा एक दो दिन बाद ले चलने की बात की गयी और इसी से वह नाराज हो गयी फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह बात सही कि गुड़िया की मृत्यु की खबर मेरे सम्बधी रामचन्द्र द्वारा ही मुझे दी गयी थी। यह बात सही है कि घटना की रिपोर्ट मेरे लेख में नहीं है मेरे भतीजे विनोद कुमार द्वारा लिखी गयी थी, जिस पर मेरे हस्ताक्षर बनवा दिये गये थे। मुझे सुनाई कम पड़ता है, इसलिए उसने प्रार्थना पत्र में क्या लिखा मैं नहीं सुन पाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मृतका मेरी बेटी थी जिसका नाम गुड़िया देवी था। उसका विवाह नवीन के साथ हुआ था। मेरी पुत्री फाँसी लगाकर मरी थी। उसका पोस्टमार्टम कानपुर में हुआ था। मेरे पहुँचने से पहले पुलिस आ गयी थी, जिसको विनोद कुमार ने रिपोर्ट लिखकर दी थी। सूचना मिलने के लगभग दो घण्टे के बाद मैं घटना स्थल गुड़िया की ससुराल पहुँचा था। गुड़िया फाँसी में टँगी थी। उसे पुलिस ने मेरे सामने उतारा था। पंचायतनामा मेरे सामने भरा गया था। शादी में मैंने जो मेरी साम्थर्य थी उसके अनुसार सामान बगैरा दिया था। दहेज की कोई माँग नहीं थी।

17- अभियोजन की तरफ से परिसाक्षित साक्षी पी०डब्लू०-2 हेड मोर्हरिर रामनेरश चौधरी जो कि एफ०आई०आर० लेखक है, ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य-परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 08-10-2023 को थाना कार्यालय सांढ़ में बहसियत हेड कान्सटेबल कार्य लेख पर था। उसी दिन धर्मेन्द्र कुमार पुत्र स्व० सुक्खू निवासी ग्राम हरियापुर पोस्ट बनरसी थाना ललौली जनपद फतेहपुर द्वारा एक हस्तलिखित तहरीर जो थाना प्रभारी सांढ़ के नाम संबधित थी थाना हाजा पर दी गयी थी। थाना प्रभारी के द्वारा मौखिक आदेश पर मेरे द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-233/2023, धारा 498A, 304B IPC 3/4 DP ACT, बनाम नवीन, प्रवीन, रामचन्द्र, मायादेवी, नेहादेवी, लक्ष्मी देवी, राधा देवी, निवासी गण ग्राम रायपाटी मजरे नारायणपुर थाना सांढ़ एवं रमाकान्त निवासी मिस्सी बिन्दकी फतेहपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। तहरीर की नकल मेरे द्वारा शब्द व शब्द बोलकर कां० 1481 रजनीश कुमार द्वारा अंकित कराई गयी थी। एफ०आई०आर संलग्न पत्रावली जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया, उसी समय मेरे द्वारा जी०डी० नं०-37 दिनांकित

08–10–2023 समय 17:47 बजे कायमी की गयी थी, जो सन्लग्न पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। मूल जी०डी० की प्रतिलिपि मैं साथ लेकर आया हूँ, जिसको मैं प्रमाणित करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

इस साक्षी पी०डब्लू०–2 हेड मोर्हरिर रामनेरश चौधरी ने अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि वादी मुकदमा मेरे पास 17:47 बजे आया था, नकल तहरीर पर एस०एच०ओ का कोई लिखित आदेश नहीं था। एस०एच०ओ० थाना में वादी मुकदमा के थाने के समय उपस्थित थे। थाना सांढ़ में 2011 से अब तक कार्यरत हूँ, जिस दिन यह मुकदमा पंजीकृत हुआ था उसके पहले व बाद में कोई अन्य मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ था।

18– अभियोजन की तरफ से परिसाक्षित साक्षी पी०डब्लू०–3 श्री विनोद कुमार जो कि वादी मुकदमा का भतीजा है, ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य–परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि धर्मेन्द्र कुमार मेरे सगे चाचा हैं। उन्होंने अपनी लड़की गुड़िया देवी की शादी दिनांक 27–06–2020 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार तयशुदा दहेज पांच लाख रूपया नकद व एक लाख रूपये की सोने की चैन व अंगूठी व डेढ़ लाख रूपये का सामान के साथ नवीन पुत्र रामचन्द्र प्रजापति निवासी ग्राम राय पाटी मजरे नरायनपुर थाना साढ़ जनपद कानपुर नगर के साथ की थी। शादी के बाद से ही गुड़िया के ससुरालीजन शारीरिक व मान–सिक रूप से प्रताडित करते थे। अतिरिक्त दहेज में दो लाख रूपये व एक अपाचे मोटर साइकिल मांग कर रहे थे। मांग पूरी न कर पाने के कारण उन लोगों से मेरे चाचा का सामाजिक सुलह समझौता होने के बाद भी गुड़िया का पति नवीन तथा देवर प्रवीन तथा ससुर रामचन्द्र, सास माया देवी तथा ननद नेहा देवी, लक्ष्मी देवी, राधा देवी निवासीगण राय पाटी थाना साढ़ कानपुर नगर तथा मेरे दामाद तथा नवीन का बहनोई रमाकान्त निवासी मिस्सी थाना बिन्दकी जिला फतेहपुर ये सब लोग मिलकर गुडिया के साथ आये दिन मार–पीट करते थे। अतिरिक्त दहेज की पूर्ति न कर पाने के कारण इन लोगों ने गुड़िया को दिनांक 08–10–2023 को मारकर फांसी पर लटका दिया। दिनांक 08–10–2023 को ही सुबह 4:00 बजे गुड़िया के ससुर रामचन्द्र ने फोन करके मेरे चाचा को बताया था कि तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा ली। तब हम सब परिवार के लोग व रिस्तेदार गुड़िया की ससुराल राय पाटी गये थे। तो वहां पर गुड़िया मृत अवस्था में फांसी पर लटकी थी। मेरे सामने ही पुलिस वालों ने गुड़िया की लाश को नीचे उतारा था। पुलिस ने मौके पर ही पंचायतनामा की कार्यवाही की थी। जो मेरे सामने

हुयी थी। पंचायतनामा को देखकर कहा कि पंचायतनामा पर हस्ताक्षर बने हुये हैं। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। अपने हस्ताक्षर की मैं पुष्टि करता हूँ। पुलिस ने मेरा बयान लिया था।

इस साक्षी पी०डब्लू०–3 श्री विनोद कुमार ने अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि यह बात सही है कि मेरे चाचा धर्मेन्द्र को रामचन्द्र का फोन आया था और उन्हीं ने जो मुझे बताया उसी के अनुसार मैंने दरोगा जी को बयान दिया था और न्यायालय में आज बयान दिया है। यह कहना सही है कि ये घटना मेरे सामने नहीं घटी है। गुड़िया की मृत्यु की सूचना मुझे मेरे चाचा धर्मेन्द्र ने दी। धर्मेन्द्र के घटना स्थल पर पहुंचने के लगभग डेढ़–दो घण्टे बाद मैं पहुंचा क्योंकि मैं दूर रहता हूँ। मृतक गुड़िया के एक लड़का है जो लगभग तीन वर्ष के ऊपर का होगा। गुडिया की ससुराल मैं दो–तीन घण्टे रूका था। इसके बाद मैं पोस्टमार्टम हाउस कानपुर नगर भी गया था। मैं फतेहपुर घटना के दिन 11:00 बजे रात को लौटकर गया था। मैं फतेहपुर से गुड़िया की ससुराल जाने के लिए चाचा धर्मेन्द्र ने बुलैरो गाड़ी बुक की थी, जिससे मैं पहले अपने गांव हरियापुर गया था। इसके बाद गुड़िया की ससुराल गया था। बुलैरो गाड़ी का नम्बर मुझे याद नहीं है। बुलैरो किसकी थी ये भी मैं नहीं बता सकता हूँ। इस बुलैरो पर मेरे चाचा धर्मेन्द्र मेरे साथ थे तथा चाची धर्मेन्द्र की पत्नी, मैं और पारिवारिक चाचा रामकिशोर और राजू आदि लोग बैठकर गुड़िया की ससुराल गये थे। ये बात सही है कि मैं गुड़िया के दादा का लड़का यानी के गुड़िया का मैं सगा चचेरा भाई हूँ। यह बात सही है कि गुड़िया की शादी उसके पिता धर्मेन्द्र ने तय की थी और उन्हीं ने शादी की थी और हम लोग भी शादी में शरीक हुये थे।

19– अभियोजन की तरफ से परिसाक्षित साक्षी पी०डब्लू०–4 श्रीमती शान्ती देवी जो कि मृतका की मां है, ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य–परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं खेती किसानी का काम करती हूँ। मेरी बेटी का नाम गुड़िया देवी था। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरी बेटी की शादी दिनांक 27–06–2020 को हुयी थी। मेरी बेटी की शादी नवीन के साथ हुई थी। मैं दान दहेज नहीं जानती हूँ। शादी में जो दान दहेज दिया था उसकी मुझे जानकारी नही है। मेरी बेटी जहाँ बिहाई थी वहाँ पर नवीन, प्रवीण (देवर), माया (सास), नेहा (ननद) आदि लोग साथ में रहते थे। मेरी बेटी ससुराल में 2023 में खत्म हुई थी। मेरी बेटी खुशी मन से रहती थी, मालूम नहीं की कैसे खत्म हुई। ससुराल वाले मारते पीटते नहीं थे, न अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे।

इस साक्षी पी०डब्लू०–4 श्रीमती शान्ती देवी ने अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि गवाह को 161 Cr.P.C. के बयान पढ़कर सुनाये तो उसने कहा की मैंने ऐसा

कोई बयान विवेचना अधिकारी को नहीं दिया था, उन्होंने ने कैसे लिख लिया, मैं इसकी कोई बजह नही बता सकती हूँ। यह बात सही की मेरी पुत्री गुड़िया जिद्दी स्वाभाव की थी। जरा–जरा सी बात पर नाराज हो जाती थी और शायद इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। नवीन तथा उसके परिवार के लोगों की कभी भी मारपीट व अतिरिक्त दहेज माँगन की शिकायत गुड़िया ने नहीं की, वह ससुराल में खुश रहती थी। मेरी पुत्री गुड़िया के एक लड़का है।

20– अभियोजन की तरफ से परिसाक्षित साक्षी पी०डब्लू०–5 उपनिरीक्षक भूपेन्द्र कुमार जो कि पंचायतनामाकर्ता है, ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य–परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 08–10–2023 को सूचना फौती जी०डी नं०–18 दिनांक 08–10–2023 समय 8:08 बजे कंट्रोल रूम द्वारा फोन से रामचन्द्र प्रजापति द्वारा सूचना दी गयी कि मेरे लड़के की पत्नी गुड़िया उम्र लगभग 22 वर्ष ने फाँसी लगा ली है, जिसकी मृत्यु हो गयी है। इस सूचना पर मैं व उपनिरीक्षक राथाकृष्ण, उपनिरीक्षक रामबाबू अवस्थी, उप निरीक्षक हरिवभान व महहमराह महिला का० कविता पटेल को घटना स्थल पर आवश्यक कार्यवाही हेतू वाद देकर पंचायतनामा प्रपत्रों के साथ रवाना हुआ। जरिए दूरभाष फोरेनसिक टीम व नायब तहसीलदार नरवल को सूचित किया गया। नायब तहसीलदार और फारेन्सिक टीम मौके पर उपस्थित आये, मृतका के परिजन के मौजूदगी में मृतका को उतारा गया, फोरन्सिक टीम द्वारा कार्यवाही करने के उपरान्त नायब तहसीलदार के दिशा निर्देश पर उनके द्वारा बोल बोल कर मुझ निरीक्षक से पंचायतनामा की कार्यवाही कराई गयी। शव की दशा सिर जानिब पश्चिम, पैर पूर्व, हाथ दोनो साइड में पैर घुटने से हल्के मुड़े हुए, शव चित अवस्था में आँगन में रखा गया था। **हुलिया –** नाक, कान, आँख कद, औसत था, रंग गेहुआ, लंबाई लगभग पाँच फिट, इकहैरा मजबूत बदन आँखे दोनो खुली हुई व मुँह खुला हुआ, मृतका के शव पर साड़ी गुलाबी प्रिंट, ब्लाउज गुलाबी रंग, ब्रा जामिनी रंग, पेटीकोट गुलाबी रंग, पीली धातु की कानो में लटकन, नाक में पीली धातु की नथुनी, गले में काला धागा, मंगलसूत्र, पैरो में सफेद धातू की पायल, दोनो पैर में दो–दो बिछिया सफेद धातू, पायी गयी थी। **चोंटे–** शव गले में फंदे का निशान, सीधे हाथ के पंजे पर बाहरी तरफ नीला जाबजा निशान, अन्य चोंटे स्त्री लाज लज्जा, लाज पर्दा का ध्यान रखते हुए महिला कान्सटेबल वह उसके परिजनों से दिखवाई गयी तो अन्दर कोई भी चोंट के निशान मौजूद नहीं थे। मायके पक्ष के लोगों में से राजू प्रजापति, विनोद प्रजापति, धर्मेन्द्र कुमार, रामकिशोर, अशोक कुमार, को पंचांग नियुक्त किया गया था। पंचो की राय में मृतका गुड़िया देवी की मृत्यु मारने के बाद ससुरालो जनों ने फाँसी का फंदा बनाकर लटकाने से हुई है, मृत्यु का सही कारण जानने के लिए मृतका का पी०एम

करा लिया जाये। राय मजिस्ट्रेट पंचो की राय से मेल नही खाती है, फिर भी मृतका उपरोक्त का पी०एम करा लिया जाये ताकि मृत्यु का सही कारण पता लग जाये। तत्पश्चात मृतका के शव को जरिए उचित माध्यम माहिला आरक्षी कविता पटेल व होमगार्ड बृजमोहन के सुपुर्दकर मोर्चेरी हाउस LLR भेजा गया था। मृतका उपरोक्त का पी०एम विडियो ग्राफी व पैनल से कराकर परिणाम से अवगत कराने की रिपोर्ट प्रेषित की थी। पंचायतनामा की कार्यवाही 08-10-2023 को समय 08:08 AM बजे पर प्रारंभ करके 11:30 AM बजे समाप्त की गयी थी। इस साक्षी द्वारा पंचायतनामा पर प्रदर्श क-5 डाला गया, पत्र चिकित्सा अधिकारी को प्रषित द्वारा नायब तहसीलदार तृतीय अजय प्रकाश सिंह पर प्रदर्श क-6, चिठ्ठि CMO प्रदर्श क-7, नमूना सील प्रदर्श क-8, फोटो लाश प्रदर्श क-9, चालान शव प्रदर्श क-10 प्रमा-णित व साबित किया गया है।

इस साक्षी पी०डब्लू०-5 उपनिरीक्षक भूपेन्द्र कुमार ने अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि सुबह 8:08 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी। इसी सूचना पर मैं मृतका का पंचायतनामा करने गया था। मैंने जी०डी नं०-18 में रवानगी की सूचना डाली थी। मेरे साथ हमराह महिला का० कविता पटेल, उपनिरीक्षक राधा कृष्ण, उपनिरीक्षक हरिभान सिंह, उपनिरीक्षक रामबाबू अवस्थी भी मेरे साथ थे। फोरेन्सिक टीम हमारे पहुँचने के बाद में घटना स्थल पर पहुँची थी। फोरेन्सिक टीम के पहुँचे का लगभग 30 से 35 मिनट इंतजार किया था। पहले कार्यवाही फोरेन्सिक टीम ने की इसके बाद मैने की। फोरेन्सिक टीम की कार्यवाही लगभग एक घण्टे का समय लगा था। घटना स्थल पर नायब तहसीलदार भी उपस्थित थे, इन्होंने शव को देखा था। नाम मुझे उनका याद नहीं। नायब तहसीलदार साहब भी घटना स्थल पर हम लागों के साथ ही पहुँचे थे वह नरवल से आये थे और हमलोग सांढ थाना से आये थे। पंचायतनामा जो पंचाग नियुक्त किये थे वह मृतका के मायके के लोग थे। यह बात सही कि पंचायतनामा में पंचो की राय में किसी अभियुक्त का नाम नहीं लिखा है, बल्कि यह लिखा कि मारने के बाद ससुराली जनों ने फाँसी का फंदा बनाकर लटकाने से हुई है। मुझे पंचायतनामा व शव सील करने में करीब तीन घण्टे का समय लगा था।

21- अभियोजन की तरफ से परिसाक्षित साक्षी पी०डब्लू०-6 डा० आर०एस० यादव जो कि चिकित्साधिकारी है, ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य-परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 08-10-2023 को मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस में थी, उसी दिन मृतका श्रीमती गुड़िया पत्नी श्री नवीन निवासिनी ग्राम अरजय थाना सांढ़ कानपुर नगर उम्र लगभग 22 वर्ष का शव विच्छेदन हेतू महिला का० कविता पटेल (585) एवं हो० गार्ड

बृजमोहन (4165) थाना सांढ़ कानपुर नगर समय 2:55 pm पर आये थे। साथ आये पुलिस कर्मचारियों से शिनाख्त कराकर मृतका का पोस्टमार्टम समय 4:40pm पर प्रारंभ होकर 5:55pm पर समाप्त हुआ था। पोस्टमार्टम करते समय मैं व मेरे साथ डा० मुन्नालाल विश्वकर्मा उपस्थित थे। दोनों लोगों ने मिलकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की थी। पोस्टमार्टम करते समय अरविन्द त्रिवेदी द्वारा विडियोग्राफी की गयी थी।

<u>सामान्य परीक्षण</u>

मृतका के शव की ल० 143cm थी तथा सामान्य कद काठी की महिला थी। महिला के शव पर एक लाल रंग की साड़ी, एक ब्लाउज, एक ब्रा परपल रंग का, एक पेटीकोट, एक जोड़ी पायल सफेद रंग, चार विछिया सफेद रंग, एक ज़ोड़ी पीले धातु के कान के टाप, पीला रंग की एक चैन विथ लाकेट, एक काला धागा ताबीज सहित, ग्यारह कांच की चूड़िया, एक कान की रिंग पीले धातू की, पोस्टमार्टम चेंजेस – 1 Rigor mortis गर्दन में छोड़कर पूरे शरीर में मौजूद थी। 2– PM– Staining– पूरे पीठ में मौजूद थी सिर्फ प्रेसर कान्टेक्ट एरिया को छोड़कर,

<u>बाह परीक्षण</u>

ओंठ चेहरा एवं नाखून cyanosed थे। आंखे बंद थी, मुख हल्का सा खुला था। Natural orchices सामान्य थे।

<u>एंटी मोर्टम चोंटे (मृत्यु से पूर्व आयी हुई चोंटे)</u>

Ligiture mark – dry and parchment like Thyroid cartilege के ऊपर मौजूद था। जो गर्दन को encircle कर रहा था तथा Skin से धसा हुआ नाली दार noncontinuous with the gap of 3cm over right side of back of neck । LM की चौड़ाई 2.5 cm थी। गर्दन की परीधि 29 cm थी।

<u>Distances of LM</u>

suprasternal Notch से 8 cm ऊपर , chin के बीचों बीच से 4 cm नीचे, right mastoid bone के just नीचे, left mastoid bone से 7cm नीचे मौजूद था। LM को कट करके देखने पर सफेद एवं चमकदार sc– tissue मौजूद था और अधिक अंदर कट करने पर मांसपेशियों के बीच कोई ब्लड या अन्य द्रव मौजूद नहीं था। गर्दन में मौजूद cartillege, hyoid bone में कोई हैंम्रेज आदि मौजूद नहीं था तथा hyoid bone में कोई असामान्यता नहीं थी। गर्दन की संरंचनाओ का विच्छेदन करने पर cervical

area में कोई रक्त स्राव मौजूद नहीं था। गर्दन की पीछे के क्षेत्र में कट करने पर मांसपेशियों में कोई रक्त स्राव मौजूद नहीं था।

<u>आन्तरिक परीक्षण</u>

Scalp And skull में कोई असामान्यता नहीं थी। दिमाग की झिल्लियां congested थी। Brain का बजन 1070gm and congested था। orbital nasal and aural cavities में कोई आसामान्यता नहीं थी। दांत 16/16 मुख जीभ एवं ग्रसनी NAD था। larynx And vocal cords congested थे। Thyroid and other cartilege NAD था। hyoid bone NAD था। trachea congested थी। छाती एवं पसलियां NAD, Pleural cavities right and left NAD, right lungs 475gm, left 470gm, and both lungs congested and air-bullae was present, heart 245gm , right chamber full, and left chamber empty, पेट- की सतह और पेरिटोनियल केविटी NAD था। अमाशय 150gm जिसके अंदर 30ml watery fluid मौजूद था, MM NAD था। छोटी आंत आंसिक रूप से गैसों से भरी हुई थी। बड़ी आंत आंसिक रूप से गैस व मल मौजूद था। लीवर congested And 1100gm था। पित्त की थैली आंसिक रूप से भरा हुआ था। spleen 160gm and congested था। kidney was congested and right kidney 142gm, left kidney 138gm , Urinnary bladder was empty, pelvic cavity and bones NAD. गर्भाशय खाली था। जन्नांग सामान्य थे। Spinal cord नही खोली गयी थी।

इस साक्षी की राय में मृतका की मृत्यु पोस्टमार्टम करने के लगभग एक दिन पहले प्रतीत होना संभव है, जिसमें 4-5 घण्टे कम या ज्यादा हो सकता है। मृतका की मृत्यु का कारण- immediate cause दम घुटना due to antimortem hanging। कपड़ों की पोटली, 7 सील बंद vials, एक सील बंद लिफाफा, ligeture tape with slide, एक सील बंद लिफाफा, palmer tape with slides, एक सील बंद लिफाफा नाखून का, एक सील बंद लिफाआ का व प्रत्येक रिपोर्ट में एक-एक रंगीन फोटो सर्व सील मोहर करके पैथोलोजिस्ट परीक्षण के लिए साथ आये का० ओर होम गा० को सुपुर्द किया था। पोस्टमार्टम करने के उपरान्त विडियोग्राफी सहित मृतका के शव को सर्वसील मोहर करके साथ आये पुलिस कर्मियों को सुपुर्द कर दिया गया था तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मेरे साथ पोस्टमार्टम करने वाले डा० मुन्ना लाल विश्वकर्मा द्वारा राय व्यक्त की गयी थी तथा पोस्टमार्टम

रिपोर्ट पर हस्ताक्षर बनाये था उनके हस्ताक्षर को मैं पहचानता हूँ, उनके हस्ताक्षर की मैं पुष्टी करता हूँ तथा इस साक्षी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–11 को अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित व साबित किया है।

इस साक्षी पी०डब्लू०–6 डा० आर०एस० यादव ने अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मृतका के गले में फाँसी से आये लिगेचर मार्क के आलावा शरीर में कोई अन्य चोटें नहीं थी। मृतका की मृत्यु फाँसी लगने से हुई थी। मैंने मृतका के विषेष अंगो का विसरा प्रसजर्व किया था, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आयी है, जिसमें कोई जहर नहीं पयाा गया है।

22– अभियोजन की तरफ से परिसाक्षित साक्षी पी०डब्लू०–7 श्री दिनेश कुमार जो कि इस मामले में प्रथम विवेचक है, ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य–परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मुकदमा अपराध संख्या–233/2023, थाना सांढ़, कानपुर नगर, धारा 498A, 304B IPC, 3/4 DP ACT, बनाम रामचन्द्र आदि की विवेचना मेरे द्वारा की गयी थी। सी०डी० का पर्चा नं०–1 दिनांकित 09–10–2023 को किता किया था, जिसमें नकल चिक, नकल रपट मेरे कार्यालय को प्राप्त हुई थी जिसका अवलोकन किया था तथा FIR लेखक हे०का० 577 रामनरेश का बयान अंकित किया था तथा बयान वादी धर्मेन्द्र कुमार पुत्र स्व० सुक्खू प्रजापति निवासी ग्राम हरियापुर थाना ललौली जिला फतेहपुर ने बताया मैंने अपनी पुत्री गुड़िया देवी की शादी दिनांक 27–06–2020 को हिन्दू रीति–रिवाज से तय शुदा दहेज जिसमें 5 लाख रुपये नगद व एक लाख रुपये की सोने की चैन व अंगूठी व 1.5 लाख रूपया का सामान नवीन पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम रायपाटी मजरे नारायनपुर थाना सांढ के साथ की थी। शादी के बाद से ससुरालीजन मेरी पुत्री को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताणित कर उससे अतिरिक्त दहेज में 2 लाख रुपये, एक अपाजे मोटर साइकिल की माँग कई बार की दहेज न दे पाने के कारण कई बार उन लोगों से मेरा सामाजिक सुलह समझौता होने के बाद भी लड़की का पति नवीन, देवर प्रवीण, ससुर रामचन्द्र, सास मायादे–वी, नन्द नेहा देवी, लक्ष्मी देवी, राधा देवी निवासी गण रायपाटी थाना सांढ कानपुर नगर तथा मेरे दामाद नवीन का बहनोई रमाकान्त निवासी मिस्सी थाना बिन्दकी जिला फतेहपुर यह सब लोग मेरे पुत्री के साथ आय दिन मारपीट करते थे। अतिरिक्त दहेज की पूर्ति न कर पाने के कारण इन लोगों ने मेरी पुत्री को दिनांक 08–10–2023 को मारकर फाँसी में लटका दिया। दिनांक 08–10–2023 को ही 4:00 बजे सुबह मेरी लड़की के ससुर रामचन्द्र ने फोन करके हमें सुचित किया कि तुम्हारी लड़की ने फाँसी लगा ली है। तब हम सब परिवारीजन व रिश्तेदार लड़की के ससुराल रायपाटी गये तो वहाँ पर मेरी लड़की मृत अवस्था में फाँसी पर

लटकी थी। पुलिस वालों ने मेरी लड़की की लाश को नीचे उतरवाया था तथा केस डायरी में अंकन किया था। साथ ही बयान गवाह विनोद कुमार पुत्र स्व० सियानंद निवासी हरियापुर थाना ललौली जिला फतेहपुर एवं रामकिशोर पुत्र स्व० छोटेलाल निवासी हरियापुर थाना ललौली जिला फतेहपुर ने भी वादी के बयानों का समर्थन किया था। तथा वादी के निशांदेही पर मौके पर जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया था। पत्रावली पर संलग्न नक्शानजरी पर प्रदर्श क–12 डाला गया। बयान गवाह श्री रामकिशोर कुशवाहा, श्यामलाल पुत्र ईश्वरी प्रसाद का बयान अंकित किया था। तत्पश्चात थाना कार्यालय से मृतका की पी०एम० रिपोर्ट की छाया प्रति पी०एम नं०–3328/2023 प्राप्त हुई जिसमें मृतिका गुड़िया की मृत्यु का कारण Asphyxia antimortem hanging अंकित है। तथा बिसरा एवं लिगेचर मार्क दो स्लाइड एवं नेल क्लिपिंग तथा स्केपिंग परिक्षण हेतु प्रिजर्व किये गये थे। सी०डी० का पर्चा नं०–2 दिनांक 10–10–2023 को किता किया था, जिसमें अभियुक्तगण रामचन्द्र , माया देवी के गिरफ्तारी मेमो प्राप्त का अवलोकन कर संलग्न सी०डी० किया था तथा बयान अभियुक्त रामचन्द्र, माया देवी को बयान अंकित कराने को कहा उन्होंने कुछ नहीं कहा और सफाई न्यायालय में दूँगा कहा तथा 14 दिवसी रिमान्ड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। सी०डी० का पर्चा नं०–3 दिनांक 14–10–2023 को किता किया था, जिसमें मृतिका गुड़िया का पचायतनामा व पी०एम रिपोर्ट थाना सांढ से मेरे कार्यालय को प्राप्त हुआ था। जिसका अवलोकन कर सी०डी० पर अंकित किया था। पर्चा नं०–4 दिनांकित 16–10–2023 को किता किया था, जिसमें वादी कार्यालय उपस्थित आया था तथा साथ में अपनी पत्नी व गवाह पंचानो को ले कर आया था, जिसमें धर्मेन्द्र कुमार, श्रीमती शान्ति देवी के बयान अंकित कर एवं गवाह पंचान अशोक कुमार, विनोद कुमार, राम किशोर, राजू प्रजापति, के बयान अंकित किये थे। पर्चा नं०–5 दिनांक 21–10–2023 को किता किया था, जिसमें अभियुक्तगण जिला कारागार मे निरूद्ध थे के 14 दिवसी रिमाँड हेतु माननीय न्यायालय से रिमान्ड हेतु अनुरोध किया गया था। पर्चा नं०–6 दिनांक 23–10–2023 को किता किया गया था, जिसमें श्री अजय प्रकाश सिंह नायब तहसीलदार, तहसील नरवल कानपुर नगर, एवं पोस्टमार्टम करने वाले डा० श्री आर०एस यादव सीनियर कन्सलटेंट यू०एच०एम हास्पिटल कानपुर नगर के बयान अंकित किये थे। पर्चा नं०–7 दिनांकित 24–10–2023 को किता किया था, जिसमें पंचायतनामा लिखने वाले उपनिरीक्षक श्री भूपेन्द्र कुमार थाना सांढ एवं महिला का० 585 कविता पटेल के बयान अंकित किये थे। पर्चा नं०–8 दिनांक 28–10–2023 को किता किया था, जिसमें मृतका गुड़िया के घटना स्थल का

फील्ड यूनिट द्वारा किये गये निरीक्षण की फील्ड यूनिट रिपोर्ट व घटना स्थल के रंगीन फोटो एवं प्रमाण पत्र 65b साक्ष्य अधि०, थाना सांढ से मेरे कार्यालय को प्राप्त हुए थे। जिसका अवलोकन कर संलग्न सी०डी० किया था। पर्चा न०–9 दिनांकित 04–11–2023 व सी०डी० का पर्चा नं०–10 दिनांकित 18–11–2023 को किता किया था, जिसमें 14 दिवस रिमांड हेतु माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था। पर्चा नं०–11 दिनांकित 28–11–2023 को किता किया था, जिसमें अभियोग से संबंधित मृतिका का बिसरा एवं अन्य माल जो पी०एम के समय सुरक्षित किया गया है। माल को शीघ्र सुरक्षित करने के लिए प्रभारी निरीक्षक सांढ को निर्देशित किया था। पर्चा नं०–12 दिनांक 04–12–2023 को किता किया था, जिसमें अभियुक्तगण के 14 दिवसी रिमान्ड हेतु माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था। पर्चा नं०–13 दिनांकित 19–12–2023 को किता किया था, जिसमें उक्त अभियोग से संबंधित बिसरा दाखिला रसीद व तीन अदद सर्वसील मोहर लिफाफे थाना सांढ से कार्यालय को प्राप्त हुए जिसका अवलोकन किया गया, बिसरा केस फाइल दिनांक 11–12–2023 को एफ०एस०एल झाँसी ने तथा तीन अदद लिफाफे केस एफ०एस०एल ताल–ग्राम कन्नौज में 16–12–2023 को भूपेन्द्र कुमार द्वारा परीक्षण हेतु दाखिल किया गया। दाखिला रसदी वाद अवलोकन संलग्न सी०डी० की गयी तत्पश्चात मेरा स्थानान्तरण जनपद सीतापुर हो गया था।

इस साक्षी पी०डब्लू०–7 श्री दिनेश कुमार ने अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि यह कहना सही है कि पर्चा नं०–11 में जो मृतका का विसरा व अन्य माल जो पी०एम० के समय सुरक्षित किया गया था, वह मेरे सामने न आज और दिनांक 05–01–2026 को था। मेरे द्वारा विवेचना के दौरान विसरा रिपोर्ट विधि विज्ञान प्रयोगशाला से नहीं आयी थी, इसीलिए विसरा रिपोर्ट का कोई भी पर्चा मेरे द्वारा नहीं काटा गया। यह विवेचना मुझे दिनांक 09–10–2023 को मिली थी। माया देवी व राम चन्द्र को थाना पुलिस सांढ द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मेरे द्वारा रामचन्द्र व माया देवी को गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मियों का बयान नहीं लिया गया है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि यह बात सही है कि जो भी बात मैं आज न्यायालय में बता रहा हूँ, वह मैं रिकोर्ड देखकर व पढकर बता रहा हूँ। मैंने पर्चा नं०–13 तक किता किए हैं। इसके बाद दूसरे विवेचक द्वारा अन्य पर्चे किता किए गये हैं। यह बात सही है कि मैंने किसी भी गवाह के बयान लेने व खत्म करने का समय केस डायरी में अंकित नहीं किया है।

23– अभियोजन की तरफ से परिसाक्षित साक्षी पी०डब्लू०–8 श्री रंजीत कुमार जो कि इस मामले में द्वितीय विवेचक है, ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य–परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि पर्चा नंबर–14 दिनांकित 27–12–2023 को किता किया था। मुकदमा अपराध–233/2023 अंतर्गत धारा 498A, 304B IPC व 3/4 DP Act, थाना सांढ़, कानपुर नगर की विवेचना पूर्वाधिकारी ए०सी०पी० श्री दिनेश कुमार शुक्ल के स्थानान्तरण के उपरान्त मेरे द्वारा विवेचना ग्रहण की गयी एवं उनके द्वारा किता किये गये पर्चो का अवलोकन किया। पर्चा नंबर–15 दिनांकित 29–12–2023 को किता किया था, जिसमें अभियुक्त रामचन्द्र प्रजापति व माया देवी जिला कारागार माती, कानपुर देहात में निरुद्ध थे, के विरुद्ध अंतर्गत धारा 498A, 304B IPC व 3/4 DP Act अभियोग बखूबी साबित होने पर जरिये आरोप पत्र संख्या–224/2023 दिनांकित 29–12–2023 माननीय न्यायालय प्रेषित किया था, जो पत्रावली में संलग्न है जिसपर प्रदर्श क–13 डाला गया एवं अभियुक्तगण नवीन, प्रवीन, नेहा देवी, लक्ष्मी देवी, राधा देवी, रमाकान्त के विरुद्ध आंशिक विवेचना प्रचलित की। पर्चा नंबर–16 दिनांक 08–01–2024 को किता किया था, जिसमें अभियुक्त नवीन को चौकी इंचार्ज उपनिरीक्षक नवनीत कुमार द्वारा मय हमराहीयान की मदद से 08–01–2024 को समय करीब 9:00 बजे कुड़नी चौराहे से गिरफ्तार किया गया, जिसका दाखिला रपट नम्बर–28 समय 10:44 बजे किया गया था। नकल रपट व गिरफ्तारी मेमो प्राप्त कर अवलोकन किया था। तत्पश्चात हवालात से निकलवाकर मेरे द्वारा नवीन के बयान अंकित किये थे तथा 14 दिवसीय रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था। पर्चा नम्बर–17 दिनांक 22–01–2024, पर्चा नंबर–18 दिनांकित 05–02–2024, पर्चा नम्बर–19 दिनांकित 17–02–2024, पर्चा नम्बर–20 दिनांकित 27–02–2024 में अभियुक्त नवीन को 14 दिवसीय रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर रिमाण्ड हेतु अनुरोध किया गया था। पर्चा नं०–21 दिनांकित 28–02–2024 को किता किया गया था जिसमें DCP south के माध्यम से मेरे कार्यालय मे प्राप्त शपथ पत्र का अवलोकन किया गया था जिसमें रामचन्द्र का शपथ पत्र का कथन केस डायरी में अंकित किया था। पर्चा नं०–22 दिनांकित 01–03–2024 को मेरे द्वारा किता गया था जिसमें मैं ग्राम अरन्जराय थाना सांढ गया था और पर्चा नं०–21 में वर्णित शपथ पत्र के शपथ कर्ताओं शैलेन्द्र कुमार, राजेलाल, श्याम लाल, नरेश चन्द्र, कन्हैया लाल, राज किशोर, जीतू कुमार, श्रीपाल, इरशाद, के बयान अंकित किये गये थे। पर्चा नं०–23 दिनांकित 03–03–2024 को मेरे द्वारा किता किया गया था, जिसमें अभियुक्ता लक्ष्मी, अभियुक्त प्रवीण , राधा देवी, नेहा देवी,

रमाकान्त कार्यालय उपस्थित आये एवं पूछताछ कर उनके बयान अंकित किये गये। तमामी विवेचना में प्राप्त साक्षय शपथ पत्र एवं बयान शपथकर्ता आदि साक्ष्य से अभियुक्तगण लक्ष्मी देवी, प्रवीण कुमार, राधा देवी, श्रीमती नेहा देवी, रमाकान्त के नामजद्गी गलत की गयी और नवीन कुमार के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर चालान जरिये आरोप पत्र संख्या 224a/2024 दिनांकित 03–03–2024 अन्तर्गत धारा 498A, 304B IPC व 3/4 DP Act माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया एवं विवेचना समाप्त की गयी, आरोप पत्र पत्रावली में संलग्न है, जिस पर प्रदर्श क–14 डाला गया।

इस साक्षी पी०डब्लू०–8 श्री रंजीत कुमार ने अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मेरे विवेचना किये जाने का उच्चाधिकारी का किसी का आदेश नहीं था। मेरे पूर्व जो अधिकारी थे उनके स्थानांतरित होने के बाद मैंने स्वतः ही इस मुकदमें की विवेचना गृहण कर ली थी। मेरे द्वारी किसी भी गवाह के बयान अंकित नहीं किये गये थे, बल्कि पूर्व विवेचक के द्वारा लिये गये बयानों का मैंने अवलोकन किया था। मैंने पर्चा नं०–16 जो दिनांक 29–12–2023 को किता किया था। मैंने नामजद अभियुक्त रामचन्द्र प्रजापति, माया देवी के विरू–द्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। यह बात सही है कि नवीन के खिलाफ भी आरोप पत्र मैंने ही न्यायालय में प्रेषित किया था।

निष्कर्ष

24– प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), कानपुर देहात द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन प़क्ष ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अपना मामला साबित करने में सफल रहा है। यह भी तर्क दिया गया कि मृतका की मृत्यु शादी के लगभग चार वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हुई है और उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले उससे दहेज में दो लाख रूपये की माँग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरन्त दर्ज की गयी और कोई देरी नहीं की गयी। औपचारिक साक्षियों द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, कायमी जी०डी०, शव विच्छेदन आख्या, पंचायतनामा, नक्शा नजरी एवं आरोप–पत्रों आदि को साबित किया गया है। घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता पायी जाती है। मृतका की मृत्यु अभियुक्तगण के घर पर ही हुई है। समस्त तथ्य साक्ष्य से साबित है। अतः अभियुक्तगण की दोष सिद्धि की याचना की गयी।

25– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतका से कोई दहेज की माँग नहीं की गयी और न ही दहेज की माँग के लिए उसे प्रताड़ित किया गया

बल्कि साक्ष्य में यह आया है कि मृतका पुत्र न होने कारण अवसाद में थी और इसी कारण उसने स्वयं विष खाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। इस प्रकार साक्ष्य से यह सुस्पष्ट है कि मृतका निर्मला देवी की मृत्यु **'होमीसाइडल'** न होकर अपितु **'सुसाइडल'** है। पंचनामें कोई चोट आना उल्लिखित नहीं है। साक्षीगण के कथन से दहेज मांगने की बात साबित नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार दहेज मृत्यु के लिए जो आवश्यक तत्व है, उन्हें अभियोजन साबित नहीं कर सका है, अर्थात् न तो मृतका को किसी दहेज की मांग के लिए घटना से ठीक पूर्व प्रताड़ित करने का साक्ष्य है और न ही अभियुक्तगण की संलिप्तता का कोई साक्ष्य पाया गया है। दहेज मृत्यु जैसी कोई बात नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन विलम्ब से काफी सोच–विचार कर दिया गया है और विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं है। विवेचक द्वारा खानापूर्ति कर आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अतः अभियुक्तगण की दोषमुक्ति की याचना की गयी है।

26– **भारतीय दण्ड संहिता की धारा–498 क** में यह प्राविधानित है कि–जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति के नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "क्रूरता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है, जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है; या

(ख) किसी स्त्री के इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाये या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है।

27– **भारतीय दण्ड सहिता की धारा–304–ख** में यह प्राविधानित है कि–

(1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए या उसके सम्बन्ध में, उसके साथ क्रूरता की थी या

उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जायेगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जायेगा।

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा।

28– **दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा–4** में यह प्राविधानित किया गया है कि– यदि कोई व्यक्ति, यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

29– परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में उल्लिखित किये जायेंगे, छह मास से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।

30– वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना है कि दिनांक 27–06–2020 को वादी मुकदमा श्री धर्मेन्द्र प्रजापति ने अपनी पुत्री गुड़िया देवी की शादी नवीन पुत्र रामचन्द्र प्रजापति निवासी ग्राम रायपाटी मजरे नरायनपुर, थाना साढ़, जनपद कानपुर देहात के साथ की थी तथा शादी के बाद से उसकी पुत्री की मृत्यु होने के दिनांक के मध्य अभियुक्तगण नवीन कुमार, रामचन्द्र प्रजापति एवं माया देवी द्वारा दो लाख रूपये व एक अपाचे मोटर साइकिल की अतिरिक्त दहेज मांग करके वादी की पुत्री के साथ क्रुरतापूर्ण व्यवहार करते हुए उसे शारीरिक व मानसिक रूप से बरामद प्रताड़ित किया गया तथा दिनांक 08–10–2023 को उक्त अभियुक्तगण ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर मृत्यु से ठीक पूर्व प्रताड़ित करते हुए, शादी के सात वर्ष के अन्दर वादी की पुत्री गुड़िया की दहेज हत्या कारित की।

31– **माननीय उच्चतम न्यायालय** द्वारा विधिक व्यवस्था **कंसराज बनाम पंजाब राज्य (2005)5 एस०सी०सी० 207** में अवधारित किया गाय है कि अभियुक्त की धारा 304B भा०द०सं० के अंतर्गत दहेज मृत्यु में दोषसिद्धि हेतु अभियोजन को निम्नलिखित आवश्यक तत्व साबित करने है–

1– ऐसी मृत्यु उसके विवाह से 7 वर्ष के अंदर होनी चाहिए।

2– महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक क्षति या स्वाभाविक परिस्थितियों से भिन्न रूप में होनी चाहिए।

3– उसके साथ पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का व्यवहार किया गया हो।

4– ऐसी क्रूरता या प्रपीड़न दहेज की मांग या उसके संबंध में होना चाहिए।

5– ऐसी क्रूरता या प्रपीड़न महिला के साथ या उसकी मृत्यु के (Soon before her death) पूर्व किया गया हो।

32– जहां तक प्रथम आवश्यक तथ्य का प्रश्न है इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है। चूंकि मृतका गुड़िया देवी की शादी दिनांक 27–06–2020 को अभियुक्त नवीन कुमार के साथ हुई थी और वादी की पुत्री गुड़िया देवी की मृत्यु दिनांक 08–10–2023 को हुई, जो कि 7 वर्ष के अंदर है। अतः इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने दहेज हत्या के पहले आवश्यक तथ्य को साबित किया है।

33– जहां तक दूसरे आवश्यक तथ्य का प्रश्न है कि क्या मृतका की मृत्यु जलने या शारीरिक चोटों से या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई हो। इस संबंध में अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–6 डा० आर०एस० यादव के साक्ष्य का अवलोकन किया गया। पी०डब्लू०–6 डा० आर०एस० यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि मृतका की मृत्यु का कारण मृतका की मृत्यु का कारण immediate cause दम घुटना due to antimortem hang–ing. मृत्यु का समय पोस्टमार्टम के समय से लगभग एक दिन पहले प्रतीत होना संभव है, जिसमें 4–5 घण्टे कम या ज्यादा हो सकता है तथा जिरह में साक्षी ने कहा है कि मृतका के गले में फांसी से आये लिगेचर मार्क के अलावा शरीर में कोई अन्य चोंट नहीं थी। मृतका की मृत्यु फांसी लगने से हुई थी। इस साक्षी ने जिरह में यह भी कहा कि उन्होंने मृतका के विशेष अंगो का विसरा प्रसजर्व किया था, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आयी है, जिसमे कोई जहर नहीं पाया गया।

34– उक्त चिकित्सक साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु का कारण दम घुटने से हुये सदमे के कारण हुयी थी। यह भी स्पष्ट है कि मृतका के शरीर पर कोई चोटें नहीं थी। मृतका की मृत्यु फांसी लगने से हुई थी। इसके अतिरिक्त पी०डब्लू०–1 धर्मेन्द्र वादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि हत्या की सूचना उसी पुत्री के ससुर रामचन्द्र ने 4:00 बजे सुबह दी थी। हम गाड़ी बुक करके गांव परिवार व भतीजों के साथ अपनी पुत्री के यहां लगभग एक घण्टे में पहुंच गया था। जब वह वहां पहुंचा तो मौके पर उसकी पुत्री के परिवारीजन फरार हो गये थे और उसकी पुत्री की लाश फांसी के फन्दे पर दरवाजे के कुंडे पर लटकी हुयी थी। जब वह पहुंचा था तो पुलिस वहां मौजूद थी। उसके सामने ही उसकी पुत्री की लाश को उतारा

था व उसके सामने ही पंचायतनामा की कार्यवाही हुयी थी। पी०डब्लू०-3 विनोद कुमार ने अपने मुख्य-परीक्षा में कहा है कि दिनांक 08-10-2023 को ही सुबह 4:00 बजे गुड़िया के ससुर रामचन्द्र ने फोन करके उसके चाचा को बताया था कि तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा ली। तब हम सब परिवार के लोग व रिस्तेदार गुड़िया की ससुराल राय पाटी गये थे। तो वहां पर गुड़िया मृत अवस्था में फांसी पर लटकी थी। उसके सामने ही पुलिस वालों ने गुड़िया की लाश को नीचे उतारा था। पुलिस ने मौके पर ही पंचायतनामा की कार्यवाही की थी, जो उसके सामने हुयी थी। इसके अतिरिक्त अन्य परिस्थिति यह भी है कि मृतका की मृत्यु मृतका की ससुराल में हुई है, जिससे यह तथ्य साबित है कि मृतका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से भिन्न असामान्य परिस्थितियों में हुई है। इस तरह अभियोजन द्वारा दहेज हत्या के दूसरे तथ्य को साबित किया गया है।

35- जहां तक तीसरे व चौथे आवश्यक तथ्य का प्रश्न है कि क्या उसके साथ पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता व प्रपीड़न दहेज हत्या की मांग के लिए किया गया है। अभियोजन कथानक के अनुसार मृतका से अभियुक्तगण अतिरिक्त दहेज की माँग कर रहे थे और उक्त अतिरिक्त दहेज के कारण मृतका गुड़िया देवी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे।

36- इस संबंध में अभियोजन साक्षीगण के बयान का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-1 वादी मुकदमा धर्मेन्द्र, जो मृतका पिता व मामले का वादी मुकदमा है, ने अपनी मुख्य परीक्षा कहा है कि उसने अपनी पुत्री गुड़िया देवी का विवाह नवीन के साथ दिनांक 27-06-2020 को हिन्दू रीति रिवाज एवं तय दहेज के साथ की थी। गौना के समय उसकी बेटी को लेने के लिए रामचन्द्र ससुर, नवीन दामाद, रामाकान्त दामाद का बहनोई, नेहा ननद, लक्ष्मी ननद, प्रवीण कुमार देवर आदि आये थे। उसके बाद हमने बेटी को हंसी खुशी से विदा कर दिया था। गौने के एक माह बाद बेटी ने अपने फोन से बताया था कि दो लाख रूपये व एक मोटर साईकिल की मांग कर रहे हैं व मुझे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित कर रहे हैं। दहेज न देने के कारण आये दिन नवीन, प्रवीण, रामचन्द्र, माया देवी, लक्ष्मी देवी, नेहा देवी, राधा देवी व रमाकान्त आये दिन मानसिक प्रताडित करते व मारपीट करते थे। इसके बाद वह तीन बार समझौता कराने के लिए गया था। उसकी बेटी कह रही थी कि पापा एक लाख रूपये दे दो तो उसे अच्छे से रखेंगे। जब वह पहली बार गया था तो एक लाख रूपये दे आया था। उसके बाद एक माह शान्त रहे। पुनः उसकी पुत्री के साथ घटना की पुनरावृत्ति करते रहे। लेकिन कई सामाजिक सुलह समझौता

होने के बाद भी उसकी पुत्री के साथ मार–पीट करते रहे। अतिरिक्त दहेज न देने के कारण उसकी पुत्री की हत्या कर दी। हत्या की सूचना उसके पुत्री के ससुर रामचन्द्र ने 4:00 बजे सुबह दी थी। हम गाड़ी बुक करके गांव परिवार व भतीजों के साथ अपनी पुत्री के यहां लगभग एक घण्टे में पहुंच गया था। जब वह वहां पहुंचा तो मौके पर उसकी पुत्री के परिवारीजन फरार हो गये थे और उसी पुत्री की लाश फांसी के फन्दे पर दरवाजे के कुंडे पर लटकी हुयी थी।

37– अभियुक्तगण की ओर से इस साक्षी पी०डब्लू०–1 धर्मेन्द्र से विस्तृत रूप से जिरह की गयी, जिसमे इस साक्षी ने कहा है कि उसे यह पता है कि दहेज लेना और देना दोनों जुर्म होता है। इसीलिए मैंने अपनी पुत्री गुडिया देवी की शादी बिना दाम दहेज के किया था। उसकी पुत्री अपनी ससुराल में खुशहाल थी उसने कभी भी उससे ससुराली दिनों की शिकायती नही की थी। उसकी पुत्री गुडिया देवी के एक पुत्र है जिसका नाम अंश है, जो अपने पैतृक पुत्री के सास–ससुर के पास रह रहा है। यह बात सही है कि उससे नवीन कुमार दामाद रामचन्द्र माया देवी लक्ष्मी देवी, नेहा देवी, राधा देवी व रामाकान्त कभी भी उससे अतिरिक्त दहेज की माँग नहीं की और न ही इन्होंने गुडिया दवी को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित किया। यह बात सही कि उसने इस दुर्घटना की (गुड़िया द्वारा फाँसी लगा लेने की) रिपोर्ट लोगों के कहने व आवेश में आकर करा दी थी। उसकी बेटी गुडिया जिद्दी स्वाभाव की थी और घटना वाले दिन दिनांक 08–10–2023 को मायके जाने को जिद्द कर रही थी। दामाद नवीन द्वारा एक–दो दिन बाद ले चलने की बात की गयी और इसी से वह नाराज हो गयी और फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह बात सही कि गुड़िया की मृत्यु की खबर उसके सम्बधी रामचन्द्र द्वारा ही उसे दी गयी थी। यह बात सही है कि घटना की रिपोर्ट उसके लेख में नहीं है उसके भतीजे विनोद कुमार द्वारा लिखी गयी थी।

38– इस साक्षी पी०डब्लू०–1 श्री धर्मेन्द्र के पक्षद्रोही होने पर अभियोजन पक्ष की ओर से इससे जिरह की गयी, जिसमें इसने कथन किया है कि मृतका उसकी बेटी थी जिसका नाम गुड़िया देवी था। उसका विवाह नवीन के साथ हुआ था। उसकी पुत्री फाँसी लगाकर मरी थी। उसका पोस्टमार्टम कानपुर में हुआ था। उसके पहुँचने से पहले पुलिस आ गयी थी, जिसको विनोद कुमार ने रिपोर्ट लिखकर दी थी। सूचना मिलने के लगभग दो घण्टे के बाद वह घटना स्थल गुड़िया की ससुराल पहुँचा था। गुड़िया फाँसी में टँगी थी। उसे पुलिस ने उसके सामने उतारा था। यह कहना गलत की उसका अभियुक्तों से समझौता हो जाने के कारण वह आज सही बात न बता रहा है। पंचायतनामा उसके सामने भरा गया था। शादी में उसने अपनी सामर्थ के अनुसार सामान बगैरा दीया था।

39– उक्त साक्षी पी०डब्लू०–1 के बयान से स्पष्ट है कि मृतका गुड़िया देवी की शादी नवीन कुमार के साथ हुई थी। जिरह में साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उससे कभी कोई दहेज की माँग नहीं की गयी और न ही उसकी लड़की/मृतका ने दहेज माँगे जाने एवं दहेज न मिलने के कारण उसे प्रताड़ित किये जाने वाली कोई बात बतायी।

40– उक्त साक्षी पी०डब्लू०–1 की मुख्य परीक्षा में यह भी आया है कि उसकी बेटी गुडिया जिद्दी स्वाभाव की थी और घटना वाले दिन दिनांक 08–10–2023 को मायके जाने को जिद्द कर रही थी। दामाद नवीन द्वारा एक–दो दिन बाद ले चलने की बात की गयी और इसी से वह नाराज हो गयी और फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस साक्षी के बयान से यह भी स्पष्ट है कि गुड़िया की मृत्यु की खबर उसके सम्बधी रामचन्द्र द्वारा ही उसे दी गयी थी।

41– उक्त साक्षी पी०डब्लू०–1 की मुख्य परीक्षा में यह भी आया है कि तहरीरी प्रार्थना पत्र जो संलग्न पत्रावली है को देखकर वादी ने बताया कि उसके बोलने पर भतीजे विनोद कुमार ने लिखी थी। उस पर उसने हस्ताक्षर बनाये थे। परन्तु जिरह में कहा है कि यह बात सही कि उसने इस दुर्घटना की (गुड़िया द्वारा फाँसी लगा लेने की) रिपोर्ट लोगों के कहने व आवेश में आकर करा दी थी। घटना की रिपोर्ट उसके लेख में नहीं है, उसके भतीजे विनोद कुमार द्वारा लिखी गयी थी।

42– उक्त साक्षी पी०डब्लू०–1 के साक्ष्य की विवेचन से यह साबित नहीं है कि अभियुक्तगण नवीन कुमार, रामचन्द्र प्रजापति एवं माया देवी द्वारा मृतका से दहेज की माँग की जाती थी। इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्ष्य में यह भी आया है कि इसने इस दुर्घटना की (गुड़िया द्वारा फाँसी लगा लेने की) रिपोर्ट लोगों के कहने व आवेश में आकर करा दी थी।

43– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–3 श्री विनोद कुमार जो मृतका का चचेरा भाई है, की मुख्य परीक्षा का सार है कि धर्मेन्द्र कुमार उसके सगे चाचा हैं। उन्होंने अपनी लड़की गुड़िया देवी की शादी दिनांक 27–06–2020 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार तयशुदा दहेज के साथ नवीन के साथ की थी। शादी के बाद से ही गुड़िया के ससुरालीजन शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते थे। अतिरिक्त दहेज में दो लाख रूपये व एक अपाचे मोटर साइकिल मांग कर रहे थे। मांग पूरी न कर पाने के कारण उन लोगों से उसके चाचा का सामाजिक सुलह समझौता होने के बाद भी गुड़िया का पति नवीन तथा देवर प्रवीन तथा ससुर रामचन्द्र, सास माया देवी तथा ननद नेहा देवी, लक्ष्मी देवी, राधा देवी तथा नवीन का बहनोई रमाकान्त मिलकर गुडिया के साथ आये दिन मार–पीट करते थे। अतिरिक्त दहेज की पूर्ति न कर पाने के कारण इन लोगों ने गुड़िया को दिनांक 08–10–2023 को मारकर फांसी पर

लटका दिया। दिनांक 08–10–2023 को ही सुबह 4:00 बजे गुड़िया के ससुर रामचन्द्र ने फोन करके उसके चाचा को बताया था कि तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा ली। तब हम सब परिवार के लोग व रिस्तेदार गुड़िया की ससुराल राय पाटी गये थे, तो वहां पर गुड़िया मृत अवस्था में फांसी पर लटकी थी। उसके सामने ही पुलिस वालों ने गुड़िया की लाश को नीचे उतारा था। पुलिस ने मौके पर ही पंचायतनामा की कार्यवाही की थी, जो उसके सामने हुयी थी। इस साक्षी ने पंचायतनामा पर बने अपने हस्तक्षर की पुष्टि की है।

44– अभियुक्तगण की ओर से इस साक्षी पी०डब्लू०–3 श्री विनोद कुमार से विस्तृत रूप से जिरह की गयी, जिसमे इस साक्षी ने कहा है कि यह बात सही है कि उसके चाचा धर्मेन्द्र को रामचन्द्र का फोन आया था और उन्ही ने जो उसे बताया उसी के अनुसार उसने दरोगा जी को बयान दिया था और न्यायालय में आज बयान दिया है। यह कहना सही है कि ये घटना उसके सामने नहीं घटी है। गुड़िया की मृत्यु की सूचना उसे उसके चाचा धर्मेन्द्र ने दी। धर्मेन्द्र के घटना स्थल पर पहुंचने के लगभग डेढ़–दो घण्टे बाद वह पहुंचा क्योंकि वह दूर रहता है। गुड़िया की ससुराल वह दो–तीन घण्टे रूका था। इसके बाद मैं पोस्टमार्टम हाउस कानपुर नगर भी गया था। यह भी कथन किया है कि वह फतेहपुर घटना के दिन 11:00 बजे रात को लौटकर गया था। वह फतेहपुर से गुड़िया की ससुराल जाने के लिए चाचा धर्मेन्द्र ने बुलैरो गाड़ी बुक की थी। जिससे मैं पहले अपने गांव हरियापुर गया था। इस बुलैरो पर उसके चाचा धर्मेन्द्र उसके साथ थे तथा चाची धर्मेन्द्र की पत्नी, वह और पारिवारिक चाचा राम किशोर और राजू आदि लोग बैठकर गुड़िया की ससुराल गये थे। यह बात सही है कि गुड़िया की शादी उसके पिता धर्मेन्द्र ने तय की थी और उन्हीं ने शादी की थी और हम लोग भी शादी में शरीक हुये थे।

45– उक्त साक्षी पी०डब्लू०–3 के बयान से भी स्पष्ट है कि मृतका गुड़िया देवी की शादी नवीन कुमार के साथ हुई थी। जिरह में साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये घटना उसके सामने नहीं घटी है। उक्त साक्षी पी०डब्लू०–3 की जिरह में यह भी आया है कि उसके चाचा धर्मेन्द्र को रामचन्द्र का फोन आया था और उन्ही ने जो उसे बताया उसी के अनुसार उसने दरोगा जी को बयान दिया था और न्यायालय में आज बयान दिया है।

46– उक्त साक्षी पी०डब्लू०–3 के साक्ष्य की विवेचन से भी यह साबित नहीं है कि अभियुक्तगण नवीन कुमार, रामचन्द्र प्रजापति एवं माया देवी द्वारा मृतका से दहेज की माँग की जाती थी। इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्ष्य में यह भी आया है कि ये घटना उसके सामने नहीं घटी है।

47– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–4 श्रीमती शान्ती देवी जो मृतका की मां है, की मुख्य परीक्षा का सार है कि उसकी बेटी का नाम गुड़िया देवी था। उसकी बेटी की शादी दिनांक 27–06–2020 को नवीन के साथ हुई थी। शादी में जो दान दहेज दिया था उसकी उसे जानकारी नही है। उसकी बेटी जहाँ बिहाई थी वहाँ पर नवीन, प्रवीण (देवर), माया (सास), नेहा (ननद) आदि लोग साथ में रहते थे। उसकी बेटी ससुराल में 2023 में खत्म हुई थी। उसकी बेटी खुशी मन से रहती थी, मालूम नहीं की कैसे खत्म हुई। ससुराल वाले मारते पीटते नहीं थे, न अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे।

48– अभियुक्तगण की ओर से इस साक्षी पी०डब्लू०–4 श्रीमती शान्ती देवी से विस्तृत रूप से जिरह की गयी, जिसमे इस साक्षी ने कहा है कि उसको धारा 161 सीआर०पी०सी० के बयान पढ़कर सुनाये तो उसने कहा की उसने ऐसा कोई बयान विवेचना अधिकारी को नहीं दिया था उन्होंने ने कैसे लिख लिया, वह इसकी कोई बजह नही बता सकते। यह बात सही की उसकी पुत्री गुड़िया जिद्दी स्वाभाव की थी। जरा–जरा सी बात पर नाराज हो जाती थी और शायद इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। नवीन तथा उसके परिवार के लोगों की कभी भी मारपीट व अतिरिक्त दहेज माँगन की शिकायत गुड़िया ने नहीं की, वह ससुराल में खुश रहती थी। उसकी पुत्री गुड़िया के एक लड़का है।

49– उक्त साक्षी पी०डब्लू०–4 श्रीमती शान्ती देवी के बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने दहेज की कोई माँग नहीं की थी बल्कि जिद्दी स्वभाव के होने के कारण उसने स्वयं फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पी०डब्लू०–4 श्रीमती शान्ती देवी मृतका की माँ है जिसके बयान से मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किये जाने, दहेज माँगे जाने एवं दहेज की पूर्ति न होने पर मृतका को अभियुक्तगण द्वारा मारपीट कर मृत्यु कारित किये जाने का तथ्य साबित नहीं होता है।

50– पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से भी विदित होता है कि मृतका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व हैगिंग से दम घुटने के कारण हुई है, परन्तु अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य साबित नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका को प्रताड़ित कर फाँसी पर लटकाकर हत्या कारित की गयी है। इसके अतिरिक्त पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा श्री धर्मेन्द्र के साक्ष्य से स्पष्ट है कि घटना की सूचना मृतका के ससुर रामचन्द्र द्वारा दी गयी है और यदि अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किया गया होता तो मृतका के ससुर द्वारा मृतका के मायके सूचना क्यों दी जाती, इस संबंध में अभियोजन की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

51– न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में अभियोजन द्वारा परिसाक्षित उपरोक्त साक्षीगण द्वारा कथित रूप से दहेज की मांग एवं मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में जो परिसाक्ष्य दियो गया है, उनसे अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। मृतका के पिता, चचेरा भाई तथा उसकी मां के साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग की जा रही थी। अत्याचार एवं व्यवहार के संबंध में भी विनिर्दिष्ट रूप से कोई कथन नहीं किया गया है। तथ्य के सभी साक्षीगण ने यह कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं की गयी और न ही दहेज की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित किया गया।

52– अतः वर्तमान मामले में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि दहेज की मांग को लेकर मृतका को शारीरिक चोटें कारित की गयीं अथवा उस पर अत्याचार किया गया। इस प्रकार से अभियोजन साक्षीगण का दहेज की मांग एवं दहेज की मांग से संबंधित प्रताड़ना का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है और अभियोजन सफलतापूर्वक यह साबित नहीं कर सका है कि दहेज की मांग को लेकर मृतका के साथ अत्याचार किया गया था।

53– भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 ख के अधीन एक अवेक्षा यह भी है कि मृतका का उत्पीड़न अथवा उस पर अत्याचार मृत्यु के तुरन्त पूर्व होना चाहिए।

54– जहाँ तक अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 हेड मोहर्रिर 577 राम नरेश चौधरी, पी०डब्लू०–5 उपनिरीक्षक भूपेन्द्र कुमार, पी०डब्लू०–7 एडिशनल एस०पी० दिनेश कुमार शुक्ल एवं पी०डब्लू०–8 ए०सी०पी० रंजीत कुमार के साक्ष्य का प्रश्न है। उपरोक्त सभी साक्षीगण औपचारिक साक्षीगण है और इन्होंने पुलिस प्रपत्रों प्रमाणित किया है और इनकी जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन होता हो।

55– पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों, उपरोक्त निष्कर्षों व तर्कों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका श्रीमती गुड़िया देवी से कोई दहेज की माँग नहीं की और न ही दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर कोई जाहिरा चोट मौजूद नहीं थी जिससे यह तथ्य साबित नहीं होता है कि मृत्यु पूर्व मृतका को दहेज के लिए मारापीटा गया हो। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 श्री धर्मेन्द्र के बयानों से मृतका के दहेज हत्या की कहानी साबित नहीं होती है और स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी बेटी गुडिया जिद्दी स्वाभाव की थी और घटना वाले दिन दिनांक 08–10–2023 को मायके जाने को जिद्द कर रही थी। दामाद नवीन द्वारा एक–दो दिन बाद ले चलने की बात की गयी और इसी से वह नाराज हो गयी और फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली,

पी०डब्लू०–3 श्री विनोद कुमार जो मृतका का चचेरा भाई है, का बयान मात्र सुनी सुनायी बातों के आधार पर आधारित है और उक्त साक्षी के बयान से भी दहेज माँग जाने व दहेज के लिए प्रताड़ित किये जाने एवं दहेज के लिए दहेज हत्या कारित किये जाने का तथ्य साबित नहीं होता है एवं पी०डब्लू०–4 श्रीमती शान्ती देवी जो मृतका की माँ है, ने अपनी जिरह में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि उसकी पुत्री जिद्दी स्वभाव की थी और इसी जिद्दी स्वभाव के कारण उसने स्वयं फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

56– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अभियोजन उक्त अपराध में अभियुक्तगण की सहभागिता व संलिप्तता को समुचित साक्ष्य से प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त नवीन कुमार अन्तर्गत धारा 498A, 304B भा०दं०सं० व वैकल्पिक धारा 302 भा०द०सं० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा अभियुक्तगण रामचन्द्र प्रजापति एवं माया देवी अन्तर्गत धारा 498A, 304B भा०दं०सं० व वैकल्पिक धारा 302 सपठित धारा 34 भा०द०सं० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त होने योग्य है।

आदेश

57– अभियुक्त नवीन कुमार को सेशन केस संख्या–777/2024, मुकदमा अपराध संख्या–233/2023, थाना साढ़, जनपद कानपुर नगर में धारा 498A, 304B भा०दं०सं० व वैकल्पिक धारा 302 भा०द०सं० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

58– अभियुक्तगण रामचन्द्र प्रजापति एवं माया देवी को सेशन केस संख्या–651/2024, मुकदमा अपराध संख्या–233/2023, थाना साढ़, जनपद कानपुर नगर में धारा 498A, 304B भा०दं०सं० व वैकल्पिक धारा 302 सपठित धारा 34 भा०द०सं० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

59– अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके जमानतनामें एवं बन्धपत्र निरस्त कर प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

60– धारा 437ए दं०प्र०सं० के प्रावधान के अनुपालन में अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वे इस निर्णय के विरुद्ध अपील किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे एवं अभियुक्तगण मुबलिग पचास–पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा इतनी ही समराशि के दो–दो प्रतिभू दाखिल करें।

61– इस निर्णय व आदेश की एक प्रति सेशन केस संख्या–651/2024, राज्य बनाम रामचन्द्र प्रजापति आदि, मुकदमा अपराध संख्या–233/2023, धारा 498A, 304B, 302 सपठित धारा 34 भा०द०सं० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना साढ़, जनपद कानपुर नगर में में रखी जावे।

62– प्रकरण में माल मुकदमाती अपीलीय अवधि के बाद नियमानुसार निरस्त किये जावे।

दिनांक–**27–05–2026**

(अजय कुमार सिंह–II)
आई०डी०–UP01536
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–4, कानपुर देहात।

63– यह निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

दिनांक–**27–05–2026**

(अजय कुमार सिंह–II)
आई०डी०–UP01536
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–4, कानपुर देहात।

Digitally signed by AJAY KUMAR SINGH
Date: 2026.06.01 11:00:46 IST
Reason: ADJ Court N0 4
Location: District and Sessions Court